

प्रेषक,

जी0 के0 टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बलिया एवं कुशीनगर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक 18 जुलाई, 2008

विषय: वर्ष 2007-08 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत हेतु अवशेष धनराशि के रिवैलीडेट तथा आवंटन की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि जिलाधिकारी बलिया के पत्र संख्या 382/संग्रह-आपदा दिनांक: 12 जून 2008 तथा जिलाधिकारी, कुशीनगर के पत्र संख्या:848/आपदा-2008, दिनांक: 17 जून, 2008 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में सिंचाई अनुभाग-3 की पत्रावली संख्या-13 एफ 5/08 द्वारा उपलब्ध कराये गये रिवैलीडेट प्रस्ताव पर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनांक: 09 जुलाई, 2008 में लिए गये निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या-5472/1-10-2007-12(73)/2007, दिनांक 26 दिसम्बर, 2007 द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं हेतु निम्नांकित धनराशि रिवैलीडेट तथा आवंटित करने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

क्र०सं०	जनपद का नाम	रिवैलीडेट एवं आवंटित धनराशि
1.	बलिया	2800000
2.	कुशीनगर	4297000
	योग	7097000 (रूपये सत्तर लाख सत्तानवे हजार मात्र)

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत प्राशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03 -राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि शासन द्वारा पूर्व में स्वीकृत परियोजनाओं के लिए प्रत्येक परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष

अब तक अवमुक्त धनराशि को घटाते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त करेंगे तथा अवशेष कार्य बाढ़ अवधि से पूर्व पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के अवशेष कार्यों हेतु स्वीकृत की जा रही है। पूर्व में परियोजनावार स्वीकृत किये गये कार्यों में किसी प्रकार का विचलन गम्भीर अनियमितता माना जायेगा। यदि पूर्व में स्वीकृत परियोजना तथा रिवैलीडेट तथा आवंटित धनराशि में कोई भिन्नता हो तो शासन के संज्ञान में लाते हुए दिशा निर्देश अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाय।

5. उक्त स्वीकृत धनराशि केवल वर्ष 2007 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले पुनर्स्थापना/अनुक्षण/मरम्मत कार्यों की परियोजनाओं पर ही व्यय की जाय। मरम्मत कार्यों की परियोजनाओं पर व्यय होने वाली धनराशि की सूची मा0 जन प्रतिनिधियों को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय तथा इसके व्यय में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाय।

6. अधिसंरचना सम्बन्धी कार्यों का प्राक्कलन कार्यदायी संस्था द्वारा विभागीय मानकों/लोक निर्माण विभाग शेड्यूल रेट के अनुसार किया जायेगा जिस पर जिलाधिकारी, जिला आपदा राहत समिति के अनुमोदित उपरान्त कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करेंगे। कार्य की सतत निगरानी/गुणवत्ता हेतु मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी अनिवार्य रूप से तकनीकी तथा प्रशासनिक अधिकारियों की टास्क फोर्स की टीम भी गठित करेंगे जिसके द्वारा कार्य का औचक निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से किया जाय। मण्डलायुक्त द्वारा भी मासिक बैठक में आपदा राहत निधि के अन्तर्गत निर्गत धनराशि एवं उसके उपयोग की समीक्षा की जायेगी एवं मण्डलीय टास्क फोर्स के माध्यम से कार्यों का निरीक्षण किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय की जाने वाली धनराशि आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स तथा मानक के अनुरूप हो। **जॉच आख्या शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय।** जांच दल द्वारा निरीक्षण के दौरान पायी गई अनियमितताओं की पूर्ण सूचना/आख्या शासन को अनिवार्य रूप से **02 दिन में उपलब्ध करा दिया जाय।**

7. आपदा राहत निधि से स्वीकृति रु0 10.00 लाख से ऊपर की तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले पुनर्स्थापना/अनुक्षण/मरम्मत सम्बन्धी परियोजनाओं के स्वीकृत प्रस्तावों पर व्यय किया जाय। जिलाधिकारी विभाग की मांग प्रस्ताव के आधार पर धनराशि उपलब्ध करायेगें तथा इस धनराशि का प्रयोग केवल संलग्न परियोजनाओं की सूची में उल्लिखित कार्यों हेतु ही किया जा सकेगा। अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिये किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को आवंटित नहीं हुई हो।



8. उक्त स्वीकृत धनराशि से कार्य कराये जाने से पूर्व कार्यदायी संस्था फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी करायेगी तथा कार्य के पूर्ण निष्पादन उपरान्त फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी कराकर व्यय सम्बन्धी मस्टररोल, एम बी तथा अन्य वाउचर जिलाधिकारी को अग्रिम समायोजन के साथ प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक चरण में की गई फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी की एक प्रति जिलाधिकारी के माध्यम से मण्डलायुक्त तथा शासन के राजस्व अनुभाग-10 में भी उपलब्ध करायी जायेगी। उपरान्त कार्यों की एक निदर्शनी भी प्रकाशित की जाय, जिसके अन्तर्गत जनपद में आपदा सम्बन्धी किये गये कार्यों का विवरण हो। इस निदर्शनी को मण्डलायुक्त, राहत आयुक्त एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाय तथा इसे जनपद के वेबसाइट पर भी जनसूचना हेतु उपलब्ध कराया जाय।

9. रु0 10.00 लाख से ऊपर की परियोजनाओं को राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति द्वारा इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया है कि जो परियोजनायें मरम्मत सम्बन्धी हैं, उनके कार्यों का सत्यापन विभागीय प्रक्रियाओं के अन्तर्गत कराया जाय तथा जिला आपदा राहत समिति एवं जनपद स्तर पर गठित तकनीकी समिति के अनुमोदन के पश्चात् ही विभाग को धनराशि उस सीमा तक ही तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले पुर्नस्थापना/अनुरक्षण/मरम्मत सम्बन्धी परियोजनाओं पर व्यय हेतु निर्गत की जाय। सम्बन्धित विभाग से यह प्रमाण पत्र ले लिया जाय कि उक्त परियोजनाओं में वांछित विभागीय मानकों के अनुरूप वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया गया है।

10. उक्त रिवैलीडेट एवं स्वीकृत धनराशि में से आहरित की जाने वाली धनराशि का सम्पूर्ण उपभोग बाढ़ अवधि से पूर्व अनिवार्य रूप से हो जाय। उक्त अवधि के उपरान्त शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचत सम्भावित हों तो उन्हें तत्काल शासन को समर्पित कर दिया जाय।

11. आपदा राहत निधि की धनराशि शासनादेश संख्या-जी.आई. 134/ 1-11- 2007-46/97, दिनांक 31 जुलाई, 2007 में इंगित राहत की विभिन्न मदों में आवश्यकता अनुसार तत्काल व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा।

12. आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित कराया जाय एवं व्यय धनराशि का मदवार व्यय विवरण/भौतिक कार्य विवरण शासनादेश संख्या-1693/ 1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय।



13. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

14. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाए तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।

15. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(जी० के० टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव।

संख्या - 3318 (1) / 1-10-2008-12(73) / 2008 टी०सी०-1, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा) / महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मण्डलायुक्त, आजमगढ़ एवं गोरखपुर।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ० प्र० लखनऊ।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, बलिया एवं कुशीनगर।
7. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग -5
- ✓ 8. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी / लेखाकार राजस्व अनुभाग-10 / राजस्व अनुभाग -6 / 11 / राहत वेबसाइट के उपयोग हेतु।
9. चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राजा राम)
अनु सचिव